

2007(2) अपराध 239 (एस. सी.)

रंजीत सिंह

बनाम

स्टेट ऑफ एम. पी.

निर्णय दिनांक - अप्रैल 03,2007

[न्यायामूर्ति एस. बी. सिन्हा और मार्कडेय काटजू]

दंड संहिता, 1860-धारा 302-के तहत दोषसिद्धि-अभियुक्त द्वारा हथियारों से हमले की सुनिश्चितता, जिससे दो की मौत हो गई-प्रथम सूचना रिपोर्ट बहुत कम समय के भीतर दर्ज की गई-अभियुक्त की ओर से कथित विशिष्ट प्रत्यक्ष कार्य-अभियुक्त पर हेतुक का आरोपण-अभियोजन का मामला उन गवाहों के साक्ष्य से साबित होता है जो मृतक के परिवार के सदस्य थे-इस प्रकार, दोषसिद्धि का आदेश संधारणीय है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पक्षों के बीच दुश्मनी के कारण, आधी रात को अपीलार्थी और उसके पिता ने बी पर हथियारों से हमला किया। बी की रक्षा करने आए बी के चचेरे भाई आर, पर भी हमला किया गया। बी

और आर दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। एफ. आई. आर. दर्ज की गई।

अभियुक्त व्यक्तियों पर आई. पी. सी. की धारा 147,148,149 और 302 के तहत अपराध का विचारण किया गया । विचारण न्यायालय ने प्रथम सूचनाकर्ता, उसकी पत्नी, एस और आर की पत्नि को चश्मदीद गवाह के रूप में परीक्षित किया और अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी ने एस और जे के साथ मिलकर अपराध कारित किया था। प्रकरण के लंबित रहने के दौरान, एस और जे की मृत्यु हो गई । अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दोषी ठहराकर सजा सुनाई गई। उच्च न्यायालय ने इस आदेश को बरकरार रखा। इसलिए वर्तमान अपील दायर की गई है।

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि-

1. विचारण न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के निष्कर्षों से असहमत होने का यहां कोई कारण नहीं है। अभियोजन पक्ष अपने मामले को साबित करने के लिए कम से कम तीन चश्मदीद गवाह, जो मृतक के परिवार के सदस्य थे, के साक्ष्य को अभिलेख पर लाने में सक्षम रहा है, इस प्रकार, वर्तमान अपील का कोई आधार नहीं है । [पैरा 9 और 10] [763-सी-एफ-

जी]

2.1. अभिलेख से यह स्पष्ट है कि पी.डब्ल्यू. 3 द्वारा बहुत ही कम समय में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। निर्विवाद रूप से, उक्त एफ. आई. आर. में, अन्य लोगों के साथ-साथ, अपीलार्थी का नाम भी लिया गया था। उसके द्वारा कारित विशिष्ट प्रत्यक्ष कृत्यों का आरोप भी लगाया गया था। यहां तक कि उसके हेतुक को भी बताया गया था। अन्यथा भी, अपीलार्थी के, उसके पिता और अन्य अभियुक्त व्यक्ति द्वारा अपराध कारित करने के कारण के बारे में कथन स्पष्ट रूप से यह दर्शित करते हैं कि उक्त अपराध करने का हेतुक यह था कि अपीलार्थी की इच्छा के विरुद्ध जिसके साथ एस का 'सगाई' समारोह हुआ, जिसके बारे में उसने अपने मुख्य परीक्षा में भी स्पष्ट रूप से बताया था, वह उसे अपनी दृष्टि कमजोर हो जाने के कारण नहीं पहचान सका। इसलिए, उनके इस साक्ष्य को तोड़ा नहीं जा सका। [पैरा 6] [762-ई-एच]

2.2. प्रथम सूचनाकर्ता की पत्नि पी. डब्ल्यू. 4 के साक्ष्य को पूर्णतया पढ़ा जाना चाहिए। उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि आरोपी नं. 1 को उसने यह शब्द, 'बाहर आओ' बोलते हुए सुना था। यह अन्यथा भी, उसके बयान से व पी. डब्ल्यू. 3 के बयान से भी स्पष्ट है कि दरवाजा खटखटाते

समय आरोपी नं. 1 द्वारा उसकी पहचान की गई थी, जिसकी प्रतिक्रिया में केवल दरवाजा खोला गया था। उसने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा कि उसने आरोपी को, बी और आर की हत्या करते देखा था, लेकिन उसने कहा कि बेहोश होने के बाद उसने कुछ नहीं देखा। [पैरा 7 और 8] [ 763 - ए-सी]

2.3. एस ने न केवल हेतुक को साबित किया था, बल्कि उसने पूरी घटना का विस्तृत विवरण दिया था। वह अपीलार्थी को पहले से जानती थी। उसने स्वीकार किया कि अपीलार्थी के साथ उसका 'सगाई' समारोह किया गया था। सिवाय घटना के समय, उसके बयान को चुनौती नहीं दी गई। जिस तरीके से दोनों व्यक्तियों की हत्या की गई थी, उसे पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पर्याप्त समर्थन मिला था। मृतक व्यक्ति के शरीर पर पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पूर्व पाई गई चोटों ने भी अभियोजन मामले का समर्थन किया। [पैरा 9] [763-डी-एफ]

आपराधिक अपील अधिकारिता : आपराधिक अपील सं.-1106/2006

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, पीठ इंदौर, आपराधिक अपील सं. 611/2000 के दिनांक 24.06.2005 के निर्णय और आदेश से-

अपीलार्थी की ओर से जावेद महमूद राव।

प्रत्यर्थी की ओर से डी. के. सिंह, डॉ. इंद्र प्रकाश सिंह और सी. डी. सिंह।

निर्णय न्यायमूर्ति एस. बी. सिन्हा द्वारा सुनाया गया।

1. देरी को माफ कर दिया गया।

2. दिनांक 9 अक्टूबर, 1994 को लगभग :30 ए.एम. पर, एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ. आई. आर.) मृतक भंवरलाल के पिता, नागू व मृतक राम लाल के चचेरे भाई ने, उस घटना के संबंध में जो उक्त तिथि को लगभग 2 या 2:30 ए.एम. पर पर मेरुकेरी गाँव में घटित हुई थी, मक्सी पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी के समक्ष दर्ज करवायी थी। अभियोजन के मामले से ऐसा प्रतीत होता है कि 'सगाई' समारोह अपीलकर्ता की शादी सीताबाई पी. डब्ल्यू. 16 के साथ करवाने के लिए किया गया था। लेकिन, उसके पिता ने शादी करवाने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें यह ज्ञात हुआ कि रंजीत पूर्व से ही शादीशुदा था।

सीताबाई का विवाह भंवरलाल से हुआ था। बिदाई समारोह घटना की तारीख से कुछ समय पूर्व ही हुआ था। एफ. आई. आर. में पी. डब्ल्यू. 3-

नागू ने कहा था कि सीताबाई पी. डब्ल्यू. 16 की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह उसकी पत्नी कमलाबाई और बेटी सुल्तानाबाई के साथ सो गई, जबकि भंवरलाल अगले कमरे में सो रहे थे। दिनांक 8/9 अक्टूबर, 1994 को दरम्यानी रात को लगभग 2 या 2.30 बजे, आरोपी नं. 1 सिद्धनाथ, उसका पुत्र रंजीत/अपीलार्थी और कुछ अन्य व्यक्तियों ने प्रथम सूचनाकर्ता का दरवाजा खटखटाया, जिस पर दरवाजा खुलने पर प्रथम सूचनाकर्ता से आरोपी ने भंवरलाल के ठिकाने के बारे में पूछा, जिस पर उसने जवाब दिया कि वह घर से बाहर था। फिर, वे भंवरलाल का नाम चिल्लाने लगे और जब वह बाहर आया तो उस पर तलवार व फारसी से हमला कर दिया।

भंवरलाल को बचाने के लिए उसका चचेरा भाई रामलाल बाहर आया, तब उस पर भी तलवारों और फारसी से हमला किया गया। हमले के परिणामस्वरूप उन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आरोपी फरार हो गया। हालांकि, पी. डब्ल्यू. 16 सीताबाई ने यह कहा कि सिद्धनाथ और अपीलार्थी के अलावा, इस घटना में कुछ और लोग भी शामिल हुए थे। अनुसंधान पूर्ण होने पर, कुल मिलाकर छह व्यक्तियों को धारा 147,148, 149 व 302 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध कारित करने के लिए

विचारण करने हेतु भेजा गया था।

विद्वान सत्र न्यायाधीश के समक्ष, अन्य गवाहों के अलावा, पी. डब्ल्यू. 3-नागू, पी. डब्ल्यू. 4-कमला बाई, पी. डब्ल्यू. 5-तेजू बाई (मृतक राम लाल की पत्नि) और पी. डब्ल्यू. 16-सीता बाई (मृतक भंवर लाल की पत्नि) चशमदीद गवाहों के रूप में परीक्षित किए गए। विद्वान विचारण न्यायालय ने सभी चशमदीद गवाहों के कथनों पर विश्वास किया और आरोपी सिद्धनाथ, रंजीत और जगदीश अर्थात् क्रमशः आरोपी नं. 1,2 और 4 मृतक भंवर लाल और राम लाल की हत्या कारित करने हेतु दोषी ठहराया। प्रकरण के लंबित रहने के दौरान, जगदीश और सिद्धनाथ की मृत्यु हो गई। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने एकमात्र जीवित अभियुक्त/अपीलार्थी को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दोषी करार देकर उसे कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

3. अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की गई थी। यद्यपि उच्च न्यायालय ने तेजू बाई-पी. डब्ल्यू. 5 के साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया, लेकिन विद्वान विचारण न्यायाधीश के निष्कर्षों से सहमत होकर, अपीलार्थी की अपील को खारिज कर दिया।

4. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने इस अपील

के समर्थन में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह तर्क भी प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय ने अपने निष्कर्ष पर पहुंचने में एक स्पष्ट त्रुटि की है क्योंकि उसने तथाकथित चशमदीद गवाहों के बयानों में बड़ी संख्या में उपस्थित विसंगतियों पर विचार नहीं किया था।

विद्वान अधिवक्ता ने यह इंगित किया कि पी. डब्ल्यू. 3 न्यायालय में अपीलकर्ता को पहचानने में सक्षम नहीं था। हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर भी आकर्षित किया गया कि वह अपराध करने के पीछे के कथित हेतुक को स्थापित करने में भी सक्षम नहीं था। यह भी आग्रह किया गया कि मृतक भंवर लाल की माँ कमला बाई उस समय पर बेहोश हो गई थी और इस प्रकार वह घटना की चशमदीद गवाह नहीं बन सकती और मामले के उस दृष्टिकोण से, उच्च न्यायालय ने उसके बयान पर भरोसा करके त्रुटि की है। जहाँ तक पी. डब्ल्यू. 16 के साक्ष्य का संबंध है, विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि यदि उसकी साक्ष्य पर विश्वास भी किया जाए, तो घटना केवल लगभग 12.00 घंटों के भीतर हुई थी, जो अभियोजन पक्ष के मामले के खिलाफ जाता है।

5. इसके अलावा यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन पक्ष का मामला हमले के हथियारों की कथित बरामदगी पर आधारित है, जिसे



विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा भी नहीं माना गया था, उच्च न्यायालय को बचाव पक्ष के मामले पर उस दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए था और इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए था कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के खिलाफ अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सक्षम नहीं रहा है। दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निर्णय का समर्थन किया।

6. अभिलेख से यह स्पष्ट है कि एफ. आई. आर. बहुत ही कम समय में दर्ज की गई थी। घटना सुबह के शुरुआती घंटों में हुई थी। दो लोगों की जान चली गई। पी. डब्ल्यू. 3, प्रथम सूचनाकर्ता को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए लगभग 12 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी। उन्होंने संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को मौखिक बयान दिया, जिसे लिखित रूप में दर्ज किया गया था। निर्विवाद रूप से, उक्त अन्य लोगों के साथ-साथ, अपीलार्थी का भी नाम लिया गया था। उसकी ओर से विशिष्ट प्रत्यक्ष कृत्यों का आरोप लगाया गया था। यहां तक कि हेतुक को भी बताया गया था। पी. डब्ल्यू. 3 को सीता बाई द्वारा कथित अपराध करने के हेतुक के बारे में बाद में बताया गया होगा, जिसे एफ. आई. आर. में स्थान मिला। अन्यथा भी, अपराध करने के कारण के बारे

में अपीलार्थी, उसके पिता और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के बयान स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि उक्त अपराध करने का हेतुक रंजीत की इच्छा के विरुद्ध पी. डब्ल्यू. 16 सीताबाई के साथ 'सगाई' समारोह किया जाना था, उसके पिता ने उसके साथ उसकी शादी करने से इनकार कर दिया था। एफ. आई. आर. में दिए गए बयानों की पी. डब्ल्यू. 3 द्वारा विद्वान विचारण न्यायाधीश के समक्ष अपने बयानों में दोहराया गया था।

हम यह नहीं पाते हैं कि प्रथम सूचनाकर्ता द्वारा एफ. आई. आर. में या न्यायालय के समक्ष अपने बयानों बताया गया घटना का विवरण किसी भी तरह की प्रतिपरीक्षा के अधीन था। हालाँकि यह सच है कि पी. डब्ल्यू. 3 ने अपीलार्थी के अलावा सिद्धनाथ और जगदीश का नाम लिया था लेकिन वह न्यायालय में उनकी पहचान नहीं कर सके, उसने अपनी मुख्य परीक्षा में भी स्पष्ट रूप से कहा था कि उसकी दृष्टि कमजोर हो गई थी, इसलिए वह उन्हें पहचान नहीं सका। इसलिए, उसके इस साक्ष्य का खण्डन नहीं जा सका।

7. इसलिए, हमारी राय में, उसने न्यायालय में उनकी पहचान कर पाने में सक्षम नहीं होने के लिए पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया है। जहाँ तक पी. डब्ल्यू. 4 के साक्ष्य का संबंध है, उसके साक्ष्य को पूर्णतया पढ़ा जाना

चाहिए। उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि आरोपी नं. 1 ने सिद्धनाथ को 'बाहर आओ' यह शब्द बोलते हुए सुना था। यह अन्यथा, उसके बयान और पी. डब्ल्यू. 3 के बयान से भी स्पष्ट है कि दरवाजा खटखटाते समय आरोपी नं. 1 ने उसकी पहचान की थी, जिसकी प्रतिक्रिया में केवल दरवाजा खोला गया था।

8. उसने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा था कि उसने आरोपी को भंवर लाल या राम लाल की हत्या करते देखा था, लेकिन बाद में उसने कहा कि बेहोश होने के बाद उसने कुछ नहीं देखा।

9. मामले के इस दृष्टिकोण में, विद्वान विचारण न्यायाधीश और इस संबंध में उच्च न्यायालय के निष्कर्ष से विपरीत मत रखने के हम कोई आधार नहीं पाते हैं। चूंकि उच्च न्यायालय ने तेजू बाई पी. डब्ल्यू. 5 के साक्ष्य पर कोई भरोसा नहीं किया था, इसलिए हमें भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, हम देख सकते हैं कि सीताबाई पी. डब्ल्यू. 16 ने न केवल हेतुक को साबित किया था, बल्कि उसने पूरी घटना की एक विस्तृत विवरण दिया था। वह अपीलार्थी को पहले से जानती थी। उसने स्वीकार किया कि रंजीत के साथ उसका 'सगाई' समारोह किया गया था। केवल घटना के समय को छोड़कर, उसके बयानों को चुनौती नहीं दी

गई। उन्हें केवल कुछ सुझाव दिए गए थे, जिन्हें उसने अस्वीकार कर दिया था।

वास्तव में, घटना के समय के संबंध में अभियोजन पक्ष के मामले में या उसके साक्ष्य में, विसंगतियों को इंगित करने के अलावा, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कुछ भी ऐसा पेश नहीं किया गया, जो हमें उसके बयान पर अविश्वास करने के लिए प्रेरित करे। जिस तरह से दोनों व्यक्तियों की हत्या की गई थी, उसे पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पर्याप्त समर्थन मिलता है। डॉ. कुलदिप श्रीवास्तव पी. डब्ल्यू.14 और डॉ. डी. के. राठौड़ पी. डब्ल्यू. 7 द्वारा मृतक व्यक्ति के शरीर पर पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पूर्व पाई गई चोटें अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करती हैं।

10. जैसा कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को कम से कम तीन चश्मदीद गवाह, जो मृतक के परिवार के सदस्य थे, का साक्ष्य दर्ज करवाकर साबित करने में सक्षम रहा है। इसलिए, हमारी राय है कि इस अपील के कोई आधार नहीं है, अतः इसे तदनुसार खारिज किया जाता है।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी महेश्वरी बरोड़ (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।